

- व. जिन मामलों में 1981 के रूपान्तरण नियमों के तहत रूपान्तरण शुल्क ही जमा कराया गया है तथा विकास शुल्क जमा नहीं कराया गया है, ऐसे मामलों में वर्तमान नियमन दर की अन्तर राशि जमा करवाई जाकर नियमन किया जावे।
- स. 1981 के भूमि रूपान्तरण के नियमों के तहत जो प्रकरण प्राधिकृत अधिकारियों के पास विचाराधीन हैं, उन सभी का स्थानान्तरण सम्बन्धित नगर विकास न्यास/स्थानीय निकाय को तत्काल प्रभाव से कर दिया जावे ताकि उनमें यथोचित कार्यवाही की जा सके।

प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ के समक्ष आवेदक द्वारा नगरीय क्षेत्र में ख0न0 1468 की भूमि में से आवासीय में रूपान्तरण कर पट्टा दिलवाने बाबत प्रा0पत्र उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ द्वारा बाद जांच प्रकरण संख्या 328 निर्णय दिनांक 5/6.04.2002 से शहर झालावाड़ स्थित ख0न0 1468 की पडत सरकार भूमि में से 25 गुना 50 फीट अर्थात् 1250 वर्ग फीट भूमि का आवासीय नियमन करने हेतु नगरीय विभाग के परिपत्र क्रमांक प.5(8)न.वि.वि./3/99 दिनांक 26.05.2000 के अनुरूप नियमानुसार राजकीय भूमि की मूल पत्रावली नियमानुसार पट्टा जारी करने हेतु नगर पालिका झालावाड़ को भिजवाई गई। नगर पालिका द्वारा दिनांक 15.03.2002 को आवासीय प्रयोजनों के लिये भूमि पट्टा-विलेख(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, धारा 90 ख के प्रावधानों के अन्तर्गत पुनः आवंटित भू-खण्डों के उपयोग हेतु) 25 गुना 50 अर्थात् 1250 वर्ग फीट जारी किया गया। यहाँ यह जाहिर किया जाना उचित है कि राजस्थान सरकार द्वारा राजस्व ग्रुप-6 विभाग जयपुर द्वारा क्रमांक प. 6(19)राज-6/99 दिनांक 20.09.2001 से समस्त जिला कलक्टर को सम्बोधित पत्र में स्पष्ट किया है कि राज0भू-राजस्व(नगरीय क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि में आवासीय/वाणिज्यिक उपयोग हेतु आवंटन/नियमितकरण/संपरिवर्तन) नियम 1981, राजकीय अधिसूचना क्रमांक प.6(99)राज-6/99 दिनांक 14.02.2001 से निरसित किये गये हैं। जबकि उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ द्वारा पत्रावली भिजवाने का आदेश दिनांक 27.02.2002 में किया गया है, इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ द्वारा नगर पालिका को पट्टे जारी किये जाने हेतु पत्रावली भिजवाई गई है वह नियमानुकूल होना नहीं पाया जाता है व उसके फलस्वरूप नगर पालिका द्वारा जारी पत्रावली स्वतः ही नियमानुकूल नहीं है। हमारे द्वारा प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त न्यायिक दृष्टान्त आरएलडब्ल्यू पृष्ठ 1047,1048,1049 का भी ससम्मान अध्ययन किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2002 के परिपेक्ष्य में है। तत्समय जिला कलक्टर द्वारा जो आदेश निरस्त किया गया था वह उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ द्वारा पारित आदेश था जिसकी पालना में नगर पालिका द्वारा कार्यवाही की गई थी। इस प्रकार प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त हमारी विनम्र राय में इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। अतः हमारी राय में तत्समय जिला कलक्टर, झालावाड़ द्वारा पारित आदेश क्रमांक/3280/राजस्व/02 दिनांक 18/21.06.2002 में किसी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। उक्त आदेश से उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ द्वारा जारी स्वीकृतियों को निरस्त किया जा चुका है जिसके परिणाम स्वरूप नगरपालिका, झालावाड़ द्वारा जारी पट्टे भी स्वतः निरस्त हो चुके हैं। इसी आराजी बाबत अपीलान्ट द्वारा माननीय अपर जिला न्यायाधीश, झालावाड़ के समक्ष दीवानी अपील सं0 51/2015 निर्णय दिनांक 31.10.2019 से अस्वीकार किया जा चुका है। उपरोक्त विवेचन से जिला कलक्टर, झालावाड़ द्वारा पूर्व में क्रमांक/3280/राजस्व/02 दिनांक 18/21.06.2002 से पारित आदेश यथावत रखा जाता है। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2020 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निकया गाहाएन)  
जिला कलक्टर  
झालावाड़

प्रकरण में नगर पालिका को आवश्यक पक्षकार बनाया जाने पर नगर परिषद पालिका की ओर से अभिभाषक निलोफर स्वादी का वकालतनामा प्रस्तुत हुआ व उपस्थित हुयी।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। अभिभाषक अपीलान्त दौराने बहस व्यक्त किया गया कि उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ द्वारा बाद जांच प्रकरण संख्या 328 निर्णय दिनांक 5/6.04.2002 से शहर झालावाड़ स्थित ख0न0 1468 की सरकार भूमि मार्ग तथा पगडडियां में से 25 गुना 50 फीट अर्थात् 1250 वर्ग फीट भूमि का आवासीय नियमन करने हेतु नगरीय विभाग के परिपत्र क्रमांक प.5(8)न.वि.वि./3/99 दिनांक 26.05.2000 से नियमानुसार पट्टा जारी करने हेतु हेतु नगर पालिका झालावाड़ को दिये निर्देश के क्रम में नगर पालिका द्वारा दिनांक 15.03.2002 को आवासीय प्रयोजनों के लिये भूमि पट्टा-विलेख(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, धारा 90 ख के प्रावधानों के अन्तर्गत पुनः आवंटित भू-खण्डों के उपयोग हेतु) 25 गुना 50 अर्थात् 1250 वर्ग फीट जारी किया गया है जो रजिस्टर्ड है उक्त रजिस्टर्ड पट्टे को खारिज करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। अपील खारिज की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरएलडब्ल्यू पृष्ठ 1047,1048,1049 की प्रति प्रस्तुत की गई।

इस पर अभिभाषक रेस्पो0 2 द्वारा व्यक्त किया कि माननीय निदेशक महोदय, निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा दिये गये निर्देश कि वर्तमान में धारा 73(2) के अधिकार न्यायालय हाजा को ही प्रदत्त किये हुए है स्पष्ट नहीं है। उन्होंने व्यक्त किया कि उपखण्ड अधिकारी के द्वारा जारी आदेश को न्यायालय हाजा द्वारा अपास्त किया गया है जो उचित है। इसी आराजी बाबत अपीलान्त द्वारा माननीय अपर जिला न्यायाधीश, झालावाड़ के समक्ष दीवानी अपील सं0 51/2015 निर्णय दिनांक 31.10.2019 से अस्वीकार किया जा चुका है निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई।

इस पर परोकार सरकार ने व्यक्त किया कि नगर पालिका द्वारा उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पालना में पट्टा जारी किया गया था जो निरस्त किया जा चुका है व उक्त भूमि पुनः सिवायचक दर्ज हो चुकी है। न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में पारित आदेश उचित है।


हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया व बहस उभय पक्ष पर मनन किया। प्रकरण माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 168/अपील/ निर्णय दिनांक 18.05.2004 से अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18/21.06.2002 को निरस्त किया जाकर प्रकरण न्यायालय हाजा में इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि नगर पालिका द्वारा अपीलान्त के पक्ष में जारी किये गये पट्टे के संबन्ध में अपीलान्त को सुनवाई का पर्याप्त एवं समुचित अवसर देने, नगर पालिका क्षेत्र में स्थित सिवाय चक भूमि को राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों के तहत स्थानान्तरित किये जाने सम्बंधी विन्दु की पूर्ण विवेचना कर नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 26.05.2000 के तहत नगर पालिका द्वारा जारी किये गये पट्टे का पूर्ण परीक्षण करने के बाद पुनः विस्तृत निर्णय पारित करें। प्रकरण के अवलोकन से प्रथमतः यह जाहिर है कि तत्समय जिला कलक्टर द्वारा पारित निर्णय में नगर पालिका द्वारा अतिक्रमी को जारी पट्टा नियमानुकूल नहीं पाया गया, कारण निम्नानुसार अंकन किया गया:-

01. प्रश्नगत भूमि सरकारी सिवायचक (बंजड)भूमि है।
02. नियमानुसार भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन नहीं कराया गया है।
03. भूमि सरकार है, जो नगर पालिका को आवंटित अथवा हस्तान्तरित नहीं है, जिसके कारण नगरपालिका को पट्टे जारी किये जाने के अधिकार नहीं है।
04. उपखण्ड अधिकारी को निजी खातेदारी की भूमि के संपरिवर्तन हेतु भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90(बी)के अधिकार हैं, जबकि प्रश्नगत भूमि सरकारी भूमि है जिसके अधिकार उपखण्ड अधिकारी को नहीं हैं।

इसी क्रम में नगरीय विभाग के परिपत्र क्रमांक प.5(8)न.वि.वि./3/99 दिनांक 26.05.2000 के विन्दु संख्या 11 का अंकन भी किया जाना उपयुक्त है जो इस प्रकार है :-

जिन प्रकरणों में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत बने हुए 1981 के रूपान्तरण नियमों के तहत कार्यवाही विचाराधीन है उन मामलों में अब प्रार्थियों से कोई राशि वसूल नहीं की जानी है:-

- अ. जिन मामलों में 1981 के रूपान्तरण नियमों के तहत रूपान्तरण शुल्क तथा विकास शुल्क पूर्णतः जमा करा दिया है उन मामलों में अब प्रार्थियों से कोई राशि वसूल नहीं की जानी है।

  
जिला कलक्टर  
झालावाड़

# निर्णय बईजलास श्री निकया गोहाएन आई0ए0एस0 जिला कलक्टर, झालावाड

नि0न0 56/अपील/14

ललित नारायण आ0 मोहनलाल महाजन नि0 मंगलपुरा झालावाड  
बनाम

01 राजस्थान सरकार

02 नगर परिषद, झालावाड जयें आयुक्त नगर परिषद,

उपस्थित:- श्री बच्चूलाल अभिभाषक अपीलान्त

निलोफर स्वादी अभिभाषक रेस्यो0 (नगर परिषद की और से)

पेरोकार सरकार

:- निर्णय :-

दिनांक: 20.10.2020

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा नगरीय क्षेत्र में आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये कृषि भूमि का आवंटन/रूपान्तरण एवं विनियमन नियम 1981 के अन्तर्गत प्रा0पत्र पेश कर शहर झालावाड स्थित सरकारी भूमि ख0न0 1468 की 50 गुना 25 यानि 1250 वर्ग फीट भूमि हेतु उपखण्ड अधिकारी झालावाड के समक्ष निवेदन किया गया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी झालावाड द्वारा जांच क्रमांक 141/भूरूपा./02 निर्णय दिनांक 27.02.2002 अनुसार नगरीय विभाग के परिपत्र क्रमांक प.5(8)न.वि.वि./3/99 दिनांक 26.05.2000 के बिन्दु संख्या 11 की अनुपालना में प्रकरण की मूल पत्रावली नियमानुसार प्रार्थी को पढा जारी करने हेतु नगर पालिका झालावाड को भिजवाई गई। नगर पालिका द्वारा दिनांक 15.03.2002 को आवासीय प्रयोजनों के लिये भूमि पढा-विलेख(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, धारा 90 ख के प्रावधानों के अन्तर्गत पुनः आवंटित भू-खण्डों के उपयोग हेतु) 25 गुना 50 यानि 138.88 वर्ग गज जारी किया गया। उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी रवीकृतियों को नियमानुकूल नहीं पाया जाने पर जिला कलक्टर, झालावाड द्वारा आदेश 3280/राजस्व/2002 दिनांक 18/21.06.2002 से ख0न0 1468 की राजकीय भूमि में से 1250 वर्ग कीट भूमि के पढे जारी किये जाने के निर्णय दिनांक 27.02.2002 को निरस्त किया जाकर उपरोक्त खसरा न0 1468 की सरकारी भूमि नाम तथा पगडडियां को कब्जे राज में लिया जाने का आदेश दिया गया। जिला कलक्टर के उक्त आदेश की अपील अपीलार्थी द्वारा माननीय न्यायालय आरएए कोटा में की जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा अपील 168/02 दर्ज की जाकर बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 18.06.2004 से अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18/21.06.2002 को निरस्त किया जाकर प्रकरण न्यायालय हाजा में इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि नगर पालिका द्वारा अपीलान्त के पक्ष में जारी किये गये पढे के संबंध में अपीलान्त को सुनवाई का पर्याप्त एवं समुचित अवसर देने नगर पालिका क्षेत्र में स्थित सिवाय चक भूमि को राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों के तहत स्थानान्तरित किये जाने सम्बन्धी बिन्दु की पूर्ण विवेचना कर नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 26.05.2000 के तहत नगर पालिका द्वारा जारी किये गये पढे का पूर्ण परीक्षण करने के बाद पुनः विस्तृत निर्णय पारित करें। प्रकरण न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया गया इसी मध्य नगर पालिका अधिनियम 2009 के अन्तर्गत आवेशूचना क्रमांक प. 8 (क) ( ) नियम डीएलपी/8226 जयपुर दिनांक 31.03.2010 के अन्तर्गत धारा 327 के तहत प्रस्तुत नियमानियों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार निदेशक एवं शासन उप सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर को ही जाने व धारा 300 के अन्तर्गत लम्बित प्रकरणों की सुनवाई हेतु निदेशक एवं शासन उप सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर को अधिकृत किया जाने पर प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय निदेशक एवं शासन उप सचिव स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर को भिजवाये गये। जिस पर माननीय निदेशक महोदय, निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर से मूल पत्रावली पत्र क्रमांक एन053 (944-49) निग0/स्थान0/13/1839 दिनांक 23.05.2014 के संलग्न इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की गई है कि वर्तमान में धारा 73(2) के अधिकार न्यायालय हाजा को ही प्रदत्त किये हुए हैं, इस कारण यह प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु वापस प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रकरण में पक्षकारान को सुना गया।

जिला कलक्टर  
झालावाड